



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229502
CG-DL-E-08092021-229502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3339]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943

No. 3339]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021

का.आ. 3644(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 09 अप्रैल 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1545(अ), तारीख 09 अप्रैल 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान टाइम्स, तारीख 25 मई, 2021 में प्रकाशित किया गया था ;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	अंचल का नाम	मौजा का नाम/थाना सं.	खाता संख्या	प्लॉट सं./सर्वे सं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	जमीन का प्रकार	जमीन की प्रकृति	भूमि के मालिक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	तोपचांची	विशुनपुर/220	30	40	0.0050	रैयती	बाईद	रविन्द्रनाथ भट्टाचार्या पिता उमाकान्त भट्टाचार्या एवं अन्य।
2			30	39	0.0850	रैयती	कनाली	रविन्द्रनाथ भट्टाचार्या पिता उमाकान्त भट्टाचार्या एवं अन्य।
3			33	37	0.1310	रैयती	बाईद	रविन्द्रनाथ भट्टाचार्या पिता उमाकान्त भट्टाचार्या।
4			12 (क)	28	0.0330	रैयती	बाईद	गगर देइ पति राम बिहारी गोस्वार।
5			18	26	0.0600	रैयती	बाईद	निरूल चन्द्र भट्टाचार्या पिता रोहिनिकान्त भट्टाचार्या।
6			22	23	0.1710	रैयती	परती	डेविड विलास पिता जे. मंगल कुरियां।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2191]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2021

S.O. 3644(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 1545(E), dated the 9th April, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th April, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Dhanbad in the State of Jharkhand;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran and Hindustan Times, dated the 25th May, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Dhanbad in the State of Jharkhand.

Sl. No.	Name of Circle	Name of Mauza/ Thana No.	Khata No.	Plot No.	Acquired Area In Acre.	Type of Land	Nature of Land	Recorded Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Topchanchi	Bishunpur/220	30	40	0.0050	Raiyati	Baid	Rabindranath Bhattherchariya S/o Umakant Bhattherchariya and others.
2			30	39	0.0850	Raiyati	Kanali	Rabindranath Bhattherchariya S/o Umakant Bhattherchariya and others.
3			33	37	0.1310	Raiyati	Baid	Rabindranath Bhattherchariya S/o Umakant Bhattherchariya.
4			12 (क)	28	0.0330	Raiyati	Baid	Gagar Dei W/o Ram Bihari Gaswar.
5			18	26	0.0600	Raiyati	Baid	Nirul Chandra Bhattachariya S/o Rohinikant Bhattachariya.
6			22	23	0.1710	Raiyati	Parti	David Wiliam S/o J. Mangal Kuriya.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2191]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)